Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

रामरख आदि बनाम किस्तुरी आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा..........10 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/01/21	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री सुरजाराम द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा रोही हाफासर तहसील लूणकरनसर में वादी संख्या 1 ता 2 के खातेदारी में संयुक्त पैतृक जोत हैं जिसके खसरा नम्बर 484/147 तादादी 12.6500 हैक्टेयर संयुक्त पैतृक जोत हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा माता–पिता के फोत होने पर [illegible] की जोत खातेदारी पैतृक में अर्जित हैं जो खातेदारी रिकार्ड में चला आ रहा है। मौका पर भौतिक रूप से कब्जा हैं एवं पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर [illegible] से अर्जित व निहित हैं। प्रतिवादी अवैध तरीके से जबरिया वंचित करने पर [illegible] हैं दिनांक 07.01.2021 को अजनबी लोगो के साथ आकर ढ़ाणी खाली करने की धमकी दी । इसी धमकी के आधार पर दिनांक 13.01.2021 को तहसील [illegible] में वादी आया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 तहसील परिसर में मिले [illegible] कि कल हमने कृषि भूमि विक्रय का सौदा कर लिया है आज ही जमीं [illegible] दंगे। प्रार्थीगण गरीब बीमार की जमीन पर अतिचार व उससे महरूम [illegible] सम्भावना है इससे अपूर्तनीय क्षति संभावित हैं। धमकी देने के कारण [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का हक पैदा हुआ। [illegible] दौराने दावा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादगत भूमि से बेदखल कर देते है तो [illegible] को अपूर्तनीय होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। [illegible] का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। हमने प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थनापत्र के [illegible] गौर किया। एक तरफा बहस व शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए अंतरिम [illegible] निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध इस [illegible] जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजी रोही हाफासर में खसरा नम्बर [illegible]47 तादादी 12.6500 हैक्टेयर भूमि का रहन बेचान आदि नहीं करें। राजस्व [illegible] यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना [illegible] यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि एवं रास्तों [illegible] में प्रभावी नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में कोई आपति अप्रार्थीगण को हो तो वे [illegible] तारीख पेशी पर स्वयं या अपने वकील के जरिये उपस्थित होकर अपना [illegible] प्रस्तुत करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा [illegible] 02.2021 को पेश हो।	
22 02/21	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक.....05 04/21.....को पेश हो। रीडर	(1) रामरख
23 02/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त [illegible] प्रार्थीगण [illegible] में लोगों के समझाने पर अप्रार्थीगण [illegible] में राजीनामा हो गया है प्रार्थीगण [illegible] पत्र आगे चलाना नहीं चाहते है। [illegible] इसी स्तर पर नोट प्रेस में निस्तारित करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण की तस्दीक एड. श्यामदीन पारीक द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र बाबत नोट प्रेस में निस्तारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णित में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:43:29 IST
Reason: SelfAttested